(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी–2136–पीबीआर/2006 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.06.2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 251/04–05/अपील।

लक्ष्मी पुत्र दुबरिया जाटव
निवासी ग्राम इन्दरगढ तह0 व
जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

1. देवीराम पुत्र धनुआराम जाटव
2. राधेश्याम पुत्र धनुआराम जाटव
3. श्यामलाल पुत्र धनुआराम जाटव
4. कन्हैयालाल पुत्र धनुआराम जाटव
5. महिला विमलाबाई पुत्री धनुआराम
   निवासीगढ ग्राम करसेना तह0 व जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ0पी0 शर्मा

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव

आदेश

(आज दिनांक 22/12/17.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 251/04–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.06.2006 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील

न्यायालय में वसीयतनामा के आधार पर अपना स्वयं का नामांतरण मृतक महिला भागो के स्थान पर करना अपेक्षित करते हुए आवेदन पेश किय जो आदेश दिनांक 05.04. 2004 के द्वारा स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2005 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगणों का नामांतरण स्वीकार करने की कार्यवाही संहिता की धारा 110 के तहत करने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जिसे अपर आयुक्त द्वारा अस्वीकार किया गया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में केवल अवधि के बिंदु पर बहस की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अभिलेख बुलाए गुणदोषों पर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश साक्ष्य एवं साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित है । प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य की अपीलीय न्यायालयों ने विवेचना नहीं की है । उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर पूर्ण विचार कर आदेश पारित किया है । तहसील न्यायालय ने वसीयत को संदेह से परे मानकर त्रुटि की है उनके द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है वसीयतकर्ता के वारिसान मौजूद हैं तब वह अन्य को वसीयत क्यों करेगा । यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन ने अवधि बाह्य अपील की थी । विलंब के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई इस कारण अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को अवधि बाह्य मानकर तथा प्रथम

अपीलीय न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत मानकर आवेदक की अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने में हुये विलंब के संबंध में समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदकगण मृतक वसीयतकर्ता के विधिक वारिसान हैं उन्हें भूमि से क्यों वंचित किया गया है इसका कोई उल्लेख वसीयत में नहीं है । न्यायदृष्टांत 1985 आर0एन0 65 एवं 1989 आर0एन0 209 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – संहिता की धारा 109, 110 – वसीयत के आधार पर नामांतरण का दावा – संपत्ति से उत्तराधिकारी का अपवर्जन – ऐसी वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं किया जाना चाहिए । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह उचित और न्यायिक है और उसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर